# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

**अपील संख्या :– 372/2019**

गुलाब सिंह कालवी **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
2. उपवन संरक्षक, इंदिरा नहर परियोजना स्टेज–।। जैसलमेर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 21.08.2019
**आदेश की दिनांक** :

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सी पी त्रिवेदी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिह चौहान, राजकीय अधिवक्ता
**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग में वर्ष 1971 में वनपाल के पद पर की गई। तत्पश्चात् अनेकानेक स्थानान्तरण एवं पदोन्नति पश्चात् अपीलार्थी को माह दिसम्बर 2002 को सेवानिवृति प्रदान कर दी गई। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में अपीलार्थी को 9 वर्षीय एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुए क्रमशः 9 वर्षीय वेतनमान दिनांक 22.06.1980 एवं 18 वर्षीय वेतनमान दिनांक 22.06.1988 को पूर्ण होने से दिनांक 25.01.1992 को प्रदान किया गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुए दिनांक 22.06.1998 तृतीय चयनित वेतनमान को स्वीकृत नहीं किये जाने पर अपीलार्थी ने अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष अनेकानेक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे, किन्तु अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थी सदैव अपने विभागीय हित में संतोषजनक सेवाएं प्रदान करता रहा है एवं उक्त संबंध में विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपीलार्थी को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किये गये है। प्रशंसा पत्र अनुलग्नक–1 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष बार–बार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के पश्चात भी अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की गई एवं अपीलार्थी को माह दिसम्बर 2002 को सेवानिवृति प्रदान कर दी गई। सेवानिवृति के पश्चात् भी अपीलार्थी ने अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को सेवानिवृति परिलाभ उसके 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के पश्चात् प्रदान किये जावे, किन्तु अपीलार्थी को मौखिक रूप से बतलाया गया कि आपको विभाग के द्वारा दण्ड प्रदान किये गये है तदनुसार आपको

चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नही किया जा सकता। जिस पर अपीलार्थी ने विभाग द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए जो दण्डादेश पारित किये गये है उन आदेशों की प्रति की मांग की, किन्तु मात्र मौखिक रूप से बतलाते हुए अपीलार्थी को किसी प्रकार की लिखित प्रत्युत्तर अथवा आदेशों की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवायी गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की प्रति अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.02.2018 (अनुलग्नक–3) द्वारा स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृति पश्चात् दण्डादेश जारी किये जाने के कारण दिनांक 22.06.1998 से 05 वर्ष पश्चात् अर्थात् दिनांक 22.06.2003 को चयनित वेतनमान दिया जा सकता था, किन्तु दिनांक 22.06.2003 से पूर्व दिनांक 21.12.2002 को सेवानिवृति दिये जाने के कारण चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। उक्त आदेश प्राप्ति पर अवलोकन किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी ने पुनः प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष निवेदन किया कि आदेश दिनांक 14.02.2018 में वर्णित दण्डादेश को सही मान भी लिया जावे तब भी अपीलार्थी को वर्ष 1994 में एवं वर्ष 1997 में ही मात्र दण्डादेश पारित किये गये है जो कि जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए दण्डादेश जारी किये गये है अन्य आदेश किसी भी प्रकार का कोई दण्डादेश की श्रेणी में नहीं आते है। तद्नुसार विभागीय आदेशानुसार भी अपीलार्थी को 22.06.2002 को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा सकता था किन्तु अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत नहीं किया गया है। अपीलार्थी को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं किये जाने पर अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्यथीत आदेश में उल्लेखित दण्डादेश एवं अन्य आदेशों की जांच रिपोर्ट एवं आदेशों की प्रति की मांग की। यह है कि सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी को विभागीय आदेश दिनांक 25.03.1998 के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी ॥ श्रेणी से क्षेत्रीय वन अधिकारी । श्रेणी के पद पर पदोन्नति भी प्रदान की गई, जो अनुलग्नक–5 पर उपलब्ध है। यहां अपीलार्थी यह उल्लेख करना उचित समझता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दण्डादेश होने कि स्थिति में अपीलार्थी को पदोन्नति भी प्रदान नहीं कि जा सकती थी, किन्तु अपीलार्थी को माह मार्च 1998 में पदोन्नति प्रदान की गई है। तात्पर्य यह है कि अपीलार्थी को विभाग द्वारा ॥। चयनित वेतनमान प्रदान किया जाना अनिवार्य था, किन्तु अपीलार्थी को प्रदत नहीं किया गया न ही अपीलार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांग किये गये दस्तावेजों की प्रतियां भी उपलब्ध नहीं करवायी गई। विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2018 में अपीलार्थी के विरूद्ध सामान्य आदेश तात्कालीन समय में पारित किये गये है उक्त आदेश में वर्णित कृत्यों में दो दण्डादेश की श्रेणी में माने जा सकते है अन्य कोई भी दण्डादेश की श्रेणी में नहीं आते है। तद्नुसार दो दण्डादेश मान भी लिये जाये तब भी अपीलार्थी सेवानिवृति से पूर्व वर्ष 2000 में ही 27 वर्षीय चयनित वेतनमान

प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि अपीलार्थी को आज दिनांक तक भी उक्त 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.02.2018 (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी के संबध में निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसके 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ मय ब्याज स्वीकृत फरमाया जावें एवं तद्नुसार गणना करते हुए पेन्शन संशोधित करते हुए उसका परिलाभ भी प्रदान करवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयन के साथ परिणामी लाभ और ब्याज की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि आदेश दिनांक 14.02.2018 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी इन कारणों से दावा किए गए चयनित वेतनमान के लाभ का हकदार नहीं है। अपीलार्थी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति 21 दिसंबर 2002 तक उनकी सेवा के दौरान विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के लिए उन्हें 5 बार सजा के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, जिसमें असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर वसूली, राज्य को हुए नुकसान के लिए धन की वसूली और असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर आगे की वसूली की सजा शामिल थी साथ ही अपीलार्थी के वर्ष 1997–98 एवं वर्ष 1999–2000 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी प्रतिकूल टिप्पणी अंकित है और इसलिए, यदि उनका सेवा रिकॉर्ड उपरोक्त दंड के बिना दर्ज पाया जाता तो वे दावा किए गए लाभ का लाभ उठा सकते थे और साथ ही यह निर्विवाद तथ्य है कि वे 22 जून 2003 की तारीख से पहले 21 दिसंबर 2002 को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, जो कानून के प्रावधान और अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूरी तरह से न्यायसंगत और उचित है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा 14 वर्ष पश्चात अपीलार्थी अपील दायर कर रहा है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.02.2018 को अपास्त किये जाने का और उसकी 27 वर्ष की सेवाएं वर्ष 2000 को पूर्ण होने के आधार पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ समस्त परिलाभों के साथ प्रदान करने का निवेदन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 22.06.1971 को प्रत्यर्थी विभाग में वनपाल के पद पर हुई थी और इसके अनुरूप दिनांक 22.06.1989 को 18 वर्ष की सेवा पूरी होती है। इसलिए

आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से स्वीकृत किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2018 के अवलोकन से यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को सेवा के दौरान विभिन्न समय पर कानून के अनुसार दंड का भागीदार माना गया था, जिससे सार्वजनिक निधि को नुकसान हुआ और 5 दण्डादेश के कारण उसे 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभों के लिए पात्र नहीं माना। पत्र दिनांक 14.02.2018 में अपीलार्थी के विरूद्ध प्रसारित विभिन्न दण्डादेशों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. उप वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना नागौर के कार्यालय आदेश दिनांक 19.02.1997 द्वारा 3536/– की वसूली का दण्ड दिया गया।
2. उप वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना नागौर के कार्यालय आदेश दिनांक 19.05.1997 द्वारा चेतावनी दी गई।
3. सहायक निदेशक, विश्व खादय कार्यक्रम परियोजना बांसवाडा के कार्यालय आदेश दिनांक 17.12.1997 द्वारा 6545/– की वसूली का दण्ड दिया गया।
4. उप वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना नागौर के कार्यालय आदेश दिनांक 29.12.1999 द्वारा एक वेतन वृद्धि असवयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।
5. उप वन संरक्षक, नागौर के कार्यालय आदेश संख्या 390402 दिनांक 25.01.2003 द्वारा 1208 की वसूली का दण्ड दिया गया।

साथ ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार अपीलार्थी के वर्ष 1997–98 एवं वर्ष 1999–2000 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित है। अपीलार्थी को दिनांक 21.12.2003 को राजकीय सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है। हमने अपीलार्थी के विरूद्ध जारी दण्डादेश जो प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये हैं उनका अवलोकन किया। जो निम्नानुसार प्रसारित किये जा रहे हैंः–

1. आदेश दिनांक 19.02.1997 से अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया है, यद्यपि राजकीय हानि की वसूली के आदेश दिये गये (अनुलग्नक–आर/1)।
2. आदेश दिनांक 19.05.1997 द्वारा अपीलार्थी की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है (अनुलग्नक–आर/2)।
3. आदेश दिनांक 17.12.1997 द्वारा लिखित चेतावनी दी जाकर राजकीय हानि की राशि वसूली के आदेश दिये गये हैं (अनुलग्नक–आर/3)।
4. आदेश दिनांक 29.12.1994 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है (अनुलग्नक–आर/4)।
5. आदेश दिनांक 25.01.2003 द्वारा राजकीय राशि वसूली के आदेश दिये गये (अनुलग्नक–आर/5)।

इन दण्डादेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी दण्डादेशों में एक सेवानिवृत्ति पश्चात दिनांक 25.01.2003 का होने से उसका कोई चयनित वेतनमान स्वीकृति में कोई प्रभाव नहीं पडेगा। अन्य दो दण्डों में वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्डादेश है। दो में दोषमुक्त/चेतावनी जारी कर राजकीय धन वसूली के आदेश है। अपीलार्थी के वर्ष 1997–98 एवं 1999–2000 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित है। चयनित वेतनमान उसी दशा में देय होता है। जबकि अपीलार्थी का सेवाभिलेख बेदाग हो एवं उसमे कोई प्रतिकूलता नहीं हो। उक्त दण्डादेशों एवं असंतोषप्रद सेवाभिलेख के कारण अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृति का पात्र नहीं रह जाता है। क्योंकि उसका प्रभाव समाप्त होने से पहले ही दिनांक 21.12.2002 को अपीलार्थी को राजकीय सेवा से अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान कर दी गई। अतः हम आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2018 में कोई अनियमितता या नियम विरूद्धता नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी तौर पर जिला परिषद सेवा चयन आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने या कार्यग्रहण करने की तिथि से 6 माह के लिए अथवा राज्य सरकार के अन्य निर्देश तक जो भी पहले हो की शर्त के साथ अध्यापक के पद पर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलाथी नियमित नियुक्ति/स्कीनिंग होने की तिथी से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है, अपीलार्थी विधि अनुसार देय परिलाभ स्वीकार करता आ रहा है और बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए लम्बे विलम्ब बाद बिना और विलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही सारहीन एवं निरर्थक तथ्यों के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। विभागीय विधि अनुरूप नियमितकरण आदेश/स्क्रीनिंग की तिथी से लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय की पालना में जारी आदेश दिनांक 20.03.2013 विधिक होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दायर खण्डपीठ याचिका 650/2016 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्राराम में माननीय उच्च न्यायालय की वृद्धपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2017 के अनुसार ही अपीलार्थी सेवा संबंधी समस्त लाभ परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील निरस्त किए जाने योग्य है।